

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
के लिए  
नागरिक/ग्राहक अधिकार-पत्र (चार्टर)  
(2022-23)

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर)  
कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड  
नई दिल्ली - 110 001

वेबसाइट आईडी: <http://www.dare.nic.in>

जारी करने की तारीख : मार्च, 2022

अगली समीक्षा : फरवरी, 2023

विजन एवं मिशन

विजन

भोजन, पोषण, आजीविका सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के प्रति दीर्घकालिक सुलभता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

## मिशन

कृषि के दीर्घकालिक विकास हेतु संस्थागत, संरचनात्मक और नीति समर्थन सहित कृषि अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा एवं अग्रणी विस्तार पहलों के दरम्यान परस्पर संबंध स्थापित करना।

### मुख्य सेवाएं/कार्य-व्यवहार

क्रम सं.	मुख्य सेवाएं/कार्य-व्यवहार	भार	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ईमेल	मोबाइल (फोन नं.)	प्रक्रिया	अपेक्षित प्रलेख/दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
1.	फील्ड फसलों के प्रजनक बीज	15	डॉ. डी.के. यादव	adgseed.icar@nic.in	9868537641	कृषि विभाग द्वारा प्रजनक बीजों के	मांग पत्र की रसीद			

	की आपूर्ति		सहायक महानिदेशक (बीज), आईसीएआर		011 23382257	लिए समेकित आबंटन प्रस्तुत करना।		*	*	*
						सेवा प्रदान करने के लिए संस्थानों को निर्देश देना।	फसल को उठाने के लिए आबंटन चार्ट। रबी - 31 अक्टूबर खरीफ - 31 मई	*	*	*
2.	बागवानी फसलों को उपलब्ध बीज और रोपण सामग्री का आबंटन	15	डॉ. बी. के. पाण्डे सहायक महानिदेशक (बागवानी विज्ञान), आईसीएआर	bkpandey.icar@gov.in	9873798948 011 25846834	मांग प्राप्त करना	निर्धारित प्रोफार्मा में मांग	शुल्क आदि तभी लिया जाएगा जब संबंधित उत्तरदायी उप- केन्द्रों अर्थात् संस्थानों से बीज और रोपण सामग्री उठाई जाती है।		
						सामग्री की उपलब्धता की जांच करना	---			
						उत्तरदायी उपकेन्द्रों अर्थात् संस्थानों को बीज और रोपण सामग्री के आबंटन के लिए निर्देश देना	---			

3.	मृदा संसाधन मानचित्रों, भूमि उपयोग योजनाओं और मृदा उर्वरता मानचित्रों का विकास।	15	डॉ. अब्दुल इस्लाम प्रधान, वैज्ञानिक (डब्ल्यूएम), आईसीएआर	adlul.icar@nic.in	9818788397 011 25843151	मांगे जा रहे क्षेत्र हेतु आंकड़ों के एकत्रीकरण और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी उप-केंद्रों यानी संस्थानों को जिम्मेदारी निर्देशित करना।	सेवा मांगकर्ता की प्रमाणिकता के साथ यथासंभव अधिकतम विवरणों के साथ सेवा की विशिष्ट आवश्यकता।	*	*	*
						सेवा मांगकर्ताओं हेतु मानचित्रों के विकास और आपूर्ति के लिए उप-केंद्रों यानी संस्थानों को उत्तरदायी निर्देशित करना।	जीआईएस मानचित्रण के लिए आशय पत्र।	*	*	*
4.	कृषि प्रौद्योगिकियों के संबंध में मार्गदर्शन / सूचना प्रदान करना	15	डॉ. वी. पी. चहल, सहायक महानिदेशक (एई), आईसीएआर	vpchahal.icar@nic.in	09968722475 011 25841536	सेवा मांगकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत संपर्क या मेल/पत्राचार के माध्यम से।	उत्तरदायी व्यक्ति को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना जिसमें सेवा की मांग करने वाले के द्वारा मांगी गई विशिष्ट सेवा का विवरण तथा उसकी पहचान और पत्राचार के बयोरों का उल्लेख हो।	*	*	*

5.	संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात संकाय-सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन विद्यालयी प्रशिक्षण देना, अल्प अवधि के कोर्स चलाना।	05	डॉ. सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक (एचआरडी), आईसीएआर	seema.jaggi @icar.gov.in	9873169418 011 25843635	भाकृअप के संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव आमंत्रित करना	ऑनलाइन प्रस्ताव	*	*	*
						एसएमडी/विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन	दिशा-निर्देश	*	*	*
						संबंधित संस्थानों से पत्राचार और अनुदान जारी करना।	निधि की मांग करना।	*	*	*
6.	स्नातक/परा स्नातक/पीएच डी विद्यार्थियों	05	डॉ. सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक	seema.jaggi @icar.gov.in	9873169418 011 25843635	अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा	सीबीटी पद्धति द्वारा	परीक्षा एवं परामर्श शुल्क	ऑनला इन	यथा निर्धारित

	को छात्रवृत्ति / फेलोशिप।		(एचआरडी), आईसीएआर			आबंटन प्रक्रिया	योग्यता (मैरिट) एवं निर्धारित पात्रता को पूरा करना	*	*	*
						संबंधित छात्रों से पत्राचार	आबंटन एवं प्रवेश पत्र	*	*	*

7.	पशुधन और कुक्कुट में रोग का निदान	10	डॉ. अशोक कुमार सहायक महानिदेशक (पशु स्वास्थ्य), आईसीएआर	ashokkr.icar@gov.in	9412761307 011 23386668	<b>एफएमडी :</b> नैदानिक सामग्री, दूध तथा वीर्य नमूनों में एफएमडी वायरस का निदान और टीकाकरण रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा वायरस प्रकोप के लिए सीरम एटीबाँडी परीक्षण करना।	किसानों सहित सेवा मांगकर्ताओं द्वारा निदेशक, डीएफएमडी, मुक्तेश्वर-263138 (उत्तराखंड) को लिखित अनुरोध।	*	*	*
						<b>बुखेलोसिस:</b> दूध/रक्त/सीरम/नैदानिक नमूनों में बुखेलोसिस वाइरस का निदान	सेवा मांगकर्ताओं द्वारा नमूनों के विस्तृत इतिहास के साथ निदेशक, आईसीएआर-निवेडी, येलहंका, बैंगलुरु-560064 को लिखित अनुरोध	*	*	*
						ग्रंथियाँ:	सेवा मांगकर्ताओं द्वारा			

						जैविक नमूनों में ग्रंथियों का निदान।	विस्तृत इतिहास के साथ निदेशक, आईसीएआर-एनआरसी, इक्काइन्स, हिसार-125001 (हरियाणा) को लिखित अनुरोध।	*	*	*
						पशुओं के विदेशी एवं उभरते रोग : विभिन्न पशु प्रजातियों के जैविक नमूनों में विदेशी और उभरती बीमारियों का निदान।	सेवा मांगकर्ताओं द्वारा विस्तृत इतिहास के साथ निदेशक, आईसीएआर-निहस्द, भोपाल-462022 (मध्यप्रदेश) को लिखित अनुरोध।	*	*	*
	पॉलीक्लिनिक में नैदानिक मामलों का उपचार।	2	डॉ. अशोक कुमार सहायक महानिदेशक (एएच), आईसीएआर	ashokkr.icar@gov.in	9412761307 011 23386668	सेवा	पॉलीक्लिनिक, आईसीएआर-आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली - 243122 (उत्तरप्रदेश) के सेवा मांगकर्ताओं से अनुरोध।	*	*	*
8.	कृषि उपकरणों के प्रोटोटाइपों की आपूर्ति।	10	डॉ. कंचन. के. सिंह, सहायक महानिदेशक(कृषि अभियांत्रिकी),	adg-fe.icar@nic.in	09582963548 011 25840158	प्रोटोटाइप की आवश्यकताओं, डिजाइन और लागत का पता लगाना।	मांग पत्र	*	*	*

			आईसीएआर							
9.	मछली/मृदा/पानी संबंधी नमूनों का विश्लेषण।	8	डॉ. पी. प्रवीण सहायक महानिदेशक (समुद्री मात्स्यिकी), आईसीएआर	pravinp.icar@gov.in	09496966206 011 25848128	ग्राहक का अनुरोध, आवश्यकताओं का आकलन / मूल्यांकन, ग्राहक को सूचित करना।	मांग पत्र	*	*	*
	गुणवत्तायुक्त मछली बीज की आपूर्ति।									
	फिशिंग क्राफ्ट/ गियर के डिजाइनों की आपूर्ति।									

### सेवा मानदंड

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य-व्यवहार	भार	सफलता संसूचक	सेवा मानदंड	इकाई	भार	आकड़ा स्रोत
1.	फील्ड फसलों के प्रजनक बीज की आपूर्ति	15	डीएसी से समेकित प्रजनक बीज आबंटनों की प्राप्ति के पश्चात मांगकर्ता एजेंसी को प्रजनक बीज की आपूर्ति।	35	कार्य दिवस	15	डेयर/भाकृअप, फसल विज्ञान प्रभाग के परियोजना निदेशक/परियोजना समन्वयक।
	बागवानी फसलों के उपलब्ध		मांग-पत्रों की प्राप्ति के पश्चात, मांगकर्ता एजेंसियों को बागवानी फसलों के उपलब्ध बीज का आबंटन।	30	कार्य दिवस	7	

2.	बीज और रोपण सामग्री का आबंटन।	15	मांग-पत्रों की प्राप्ति के पश्चात, मांगकर्ता एजेंसियों को बागवानी फसलों के उपलब्ध बीज का आबंटन।	60	कार्य दिवस	8	उत्तरदायी उप-केन्द्र अर्थात् बागवानी विज्ञान प्रभाग के संस्थान।
----	-------------------------------	----	---	----	------------	---	---

क्र. सं.	सेवाएं/कार्य-व्यवहार	भार	सफलता संसूचक	सेवा मानदंड	इकाई	भार	आकड़ा स्रोत
3.	मृदा संसाधन मानचित्रों, भूमि उपयोग योजनाओं और मृदा उर्वरता मानचित्रों का विकास।	15	क्षेत्र विशेष के संबंध में मांगे गए डाटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए लगने वाला समय।	12	माह	7	आईसीएआर- एनबीएसएस एंड एलयूपी, नागपुर और आईसीएआर- आईआईएसएस, भोपाल।
			मानचित्रों के विकास और सेवा मांगकर्ताओं को आपूर्ति करने में लगने वाला समय।	6	माह	8	

4.	कृषि प्रौद्योगिकियों के संबंध में मार्गदर्शन/सूचना प्रदान करना।	15	अनुरोध प्राप्त होने के बाद मार्गदर्शन/सूचना उपलब्ध कराने में लगने वाला समय।	32	कार्य दिवस	15	केवीके/एटीआईसी/एनएआरएस
क्र. सं.	सेवाएं/कार्य-व्यवहार	भार	सफलता संसूचक	सेवा मानदंड	इकाई	भार	आकड़ा स्रोत
5.	संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात, संकाय सदस्यों के क्षमता निर्माण के लिए शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन विद्यालयी प्रशिक्षण देना।	05	प्रस्तावों के प्राप्त होने के बाद अनुदान जारी करने में लगने वाला समय।	120	कार्य दिवस	05	डेयर/आईसीएआर
6.	स्नातक/परास्नात/पीएचडी छात्रों को छात्रवृत्ति/फेलोशिप	05	फेलोशिप प्रदान करने में लगने वाला समय	130	कार्य दिवस	05	डेयर/आईसीएआर
7.	पशुधन और कुक्कुट में रोग का निदान	10	<b>एफएमडी:</b> डीएफएमडी, मुक्तेश्वर में सामग्री प्राप्त होने के बाद प्रत्येक नमूने के लिए निदान प्रदान किया जाएगा।	10	कार्य दिवस	03	निदेशक, डीएफएमडी, मुक्तेश्वर 263138 (उत्तराखंड)

			<b>ब्रुसेलोसिस:</b> आईसीएआर निवेडी, बेंगलुरु में अच्छी स्थिति में सामग्री प्राप्त होने के बाद प्रत्येक नमूने के लिए निदान प्रदान किया जाएगा।	10	कार्य दिवस	02	निदेशक, आईसीएआर निवेडी, येलहंका, बेंगलुरु - 560064 (कर्नाटक)
			<b>ग्रंथियां:</b> आईसीएआर- एनआरसी ऑन इक्वाइन्स, हिसार में प्राप्ति के बाद प्रत्येक नमूने के लिए निदान प्रदान किया जाएगा।	05	कार्य दिवस	02	निदेशक, आईसीएआर एनआरसी ऑन इक्वाइन्स, हिसार - 125001 (हरियाणा)

क्र.सं.	सेवाएं/कार्य-व्यवहार	भार	सफलता संसूचक	सेवा मानदंड	इकाई	भार	आकड़ा स्रोत
---------	----------------------	-----	--------------	-------------	------	-----	-------------

			पशुओं के विदेशी एवं उभरते रोग : आईसीएआर- एनआईएचएसएडी, भोपाल में प्राप्ति के बाद, प्रत्येक नमूने का निदान प्रदान किया जाएगा।	10	कार्य दिवस	03	निदेशक, आईसीएआर एनआईएचएसएडी, भोपाल - 462022 (मध्य प्रदेश)
	पॉलीक्लिनिक में नैदानिक मामलों का उपचार	02	पॉलीक्लिनिक, आईसीएआर- आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली में प्राप्त सभी मामलों को उपचार प्रदान किया जाएगा।	उसी दिन (01) आरंभ किया जाएगा।	कार्यदिवस	02	निदेशक, आईसीएआर आईवीआरआई, इज्जतनगर, बरेली - 243122 (उत्तर प्रदेश)

क्र.सं.	सेवाएं/लेन-देन	भार	सफलता संसूचक	सेवा मानदंड	इकाई	भार	डाटा का स्रोत
---------	----------------	-----	--------------	----------------	------	-----	---------------

8.	कृषि उपकरणों के प्रोटोटाइप की आपूर्ति	10	मांग-पत्रों की तारीख से एकल प्रोटोटाइप प्रदान करने में लगने वाला समय।	120	कार्य दिवस	05	आईसीएआर-सीआईएई, भोपाल, और आईसीएआर-सिफेट, लुधियाना
			मांग-पत्रों की तारीख से विविध प्रोटोटाइप प्रदान करने में लगने वाला समय।	300	कार्य दिवस	05	आईसीएआर-सीआईएई, भोपाल, और आईसीएआर-सिफेट, लुधियाना
9.	फिशिंग क्रॉफ्ट एवं गियर के डिजाइनों की आपूर्ति।	08	अनुरोध प्राप्त होने के बाद, डिजाइनों की आपूर्ति में लगने वाला समय।	30	कार्य दिवस	08	आईसीएआर-सीआईएफटी, कोच्चि

### शिकायत निवारण अधिकारी

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	पदनाम	हेल्पलाइन नम्बर	ई-मेल	मोबाइल नंबर
1.	श्री पी राममूर्ति	उप सचिव, (ई व आईसी), डेयर	011-23097044	dseandic.dareagri@gov.in	9910335116

2.	डॉ. अनिल रॉय	सहायक महानिदेशक (आईसीटी), आईसीएआर	011-23385837	adg.ict@icar.gov.in	9868500341
----	--------------	---	--------------	---------------------	------------

### हितधारकों/ग्राहक

क्रम सं.	हितधारक/ग्राहक
1.	किसान
2.	खेत (फार्म) उपकरण विनिर्माता
3.	खाद्यान्न प्रसंस्करण/उद्यमी
4.	फल और सब्जी उत्पादक
5.	अनुसंधान संगठन (सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी, डीएसटी, आईआईएससी इत्यादि)
6.	डीओएसी एवं एफडब्ल्यू, डीओएफ, डीओएलआर, डीओडब्ल्यूडी, एमओईएफ एवं डीएएचडीएवंएफ
7.	इसरो, आरएसएसी, सीडब्ल्यूसी, एनआईसी, एनएफडीबी, एपीईडीए, एनएससी, एनएचबी
8.	भाकृअप वैज्ञानिक व केवीके कार्मिक

9.	कृषि उद्योग, उर्वरक कम्पनियां, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, राज्य भूमि उपयोग बोर्ड
10.	भाकृअप के साथ कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), निजी अनुसंधान एवं विकास संस्थान
11.	भाकृअप के मानद विश्वविद्यालयों, एसएयू, सीएयू और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी
12.	डेयर/आईसीएआर के साथ कार्य करने वाले अन्य सरकारी विभाग
13.	केन्द्रीय/राज्य कृषि और मात्स्यिकी विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत मात्स्यिकी महाविद्यालय
14.	फिशिंग बोट मालिक, मछली संसाधक, मछली उत्पाद निर्यातक संघ
15.	पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग, भारत सरकार
16.	टीका (वैक्सीन) विनिर्माता
17.	मात्स्यिकी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय/राज्य पशुपालन विभाग
18.	पशुचिकित्सा अस्पताल/राज्य पशुधन फार्म
19.	जिला/राज्य दुग्ध सहकारी समितियां और निजी आहार विनिर्माता, आहार सामग्री ग्राहक और आपूर्तिकर्ता
20.	राज्य कृषि और पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, भाकृअप के संस्थानों सहित अनुसंधान संस्थान/पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय
21.	पशुधन मालिक/प्रगतिशील किसान/निजी पशुधन उद्यमी
22.	छात्र

**उत्तरदायिता केन्द्र (आरसी) अर्थात् विषय वस्तु प्रभाग (एसएमडी) और अधीनस्थ संगठन**

क्रम सं.	प्रभाग	दूरभाष नंबर	ईमेल	पता
1.	फसल विज्ञान प्रभाग	011 – 2338 2545	ddgcs.icar@nic.in	उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2.	बागवानी विज्ञान प्रभाग	011 – 2584 2068	ddghort.icar@gov.in	उप महानिदेशक (बागवानी विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली-110012

3.	पशु विज्ञान प्रभाग	011 – 2338 1119	ddgas.icar@nic.in	उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
4.	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रभाग	011 – 2584 8364	ddg.nrm@icar.gov.in	उप महानिदेशक (एनआरएम), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली-110012
5.	मात्स्यिकी विज्ञान प्रभाग	011 – 2584 6738	ddgfs.icar@gov.in	उप महानिदेशक (एफएस), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली-110012

उत्तरदायिता केन्द्र (आरसी) अर्थात एसएमडी और अधीनस्थ संगठन

क्रम सं.	प्रभाग	दूरभाष नंबर	ईमेल	पता
6.	कृषि अभियांत्रिकी प्रभाग	011 – 2584 3415	ddgengg@icar.org.in	उप महानिदेशक (कृषि अभियांत्रिकी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली-110012
7.	कृषि विस्तार प्रभाग	011 – 2584 3277	ddgextn.icar@gov.in	उप महानिदेशक (कृषि विस्तार), कृषि अनुसंधान भवन-I, पूसा, नई दिल्ली-110012
8.	कृषि शिक्षा प्रभाग	011 – 2584 1760	ddgedu.icar@gov.in	उप महानिदेशक (शिक्षा), भारतीय कृषि

				अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली-110012
--	--	--	--	---

सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक प्रत्याशाएं

क्र.सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक प्रत्याशाएं
1.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति

2.	शुल्क का भुगतान
3.	आवेदन प्रस्तुत करना
4.	वेबसाइट/संस्थानों से सेवाओं की उपलब्धता का पता लगाना।
5.	ज्ञान और कौशल उन्नयन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थानों/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) द्वारा प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत किया जाना।
6.	समनुरूप विभागों द्वारा मांग-पत्रों या आवश्यकताओं को समय पर प्रस्तुत करना।
7.	प्राप्तकर्ताओं द्वारा समय पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
8.	प्रौद्योगिकी विकास और परिष्करण में उद्योग की अनुक्रिया और भागीदारी।
9.	संसाधनों के कुशल उपयोग हेतु मृदा संसाधन मानचित्रों, भूमि उपयोग योजनाओं, मृदा उर्वरता मानचित्रों, मृदा और जल संरक्षण उपायों और कृषि संबंधी सलाहों को अपनाना।
10.	ग्राहकों और ग्राहक विभागों द्वारा दस्तावेजों/आवश्यकताओं को समय पर प्रस्तुत करना।
11.	सेवा प्राप्तकर्ताओं द्वारा समय पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
12.	ग्राहकों द्वारा परामर्शी/सलाह सेवाओं/अनुसंधान सिफारिशों का कार्यान्वयन।
13.	मत्स्य उद्योग, विभागों, मछुआरों, मात्स्यिकी सोसायटियों और संघों द्वारा परीक्षित प्रौद्योगिकियों/कार्यनीतियों/दिशा-निर्देशों को अपनाना तथा उनका कार्यान्वयन।
14.	गुणन के लिए पर्याप्त समय रहते उपयुक्त समय पर विशिष्ट बीज और रोपण सामग्री के लिए मांग करना।
15.	पैकिंग प्रभारों सहित बीज और रोपण सामग्री के लिए अनुमानित लागत के प्रति बीज और रोपण सामग्री की अग्रिम अदायगी।
16.	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा मांग-पत्रों/आवश्यकताओं को समय पर प्रस्तुत करना।
17.	एजेंसियों/डीओएसी द्वारा प्रजनक बीज के समेकित आबंटन समय पर प्रस्तुत करना।
18.	मांगकर्ता/आबंटिती द्वारा प्रजनक बीज को समय पर उठाना।
19.	मांगकर्ता द्वारा प्रजनक बीज उत्पादनकर्ता संस्थानों/एआईसीआरपी को समय पर अदायगी करना।
20.	नैदानिक सामग्री को कोल्ड चैन में अधिमानतः वाहकों के द्वारा भेजा जाना होता है।
21.	सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा फोन नं., ईमेल और डाक-पता उपलब्ध कराना।
22.	नैदानिक नमूने/सामग्री को अधिमानतः वाहकों/त्वरित वायु कोरियर सेवाओं के माध्यम से कोल्ड चैन में भेजा जाना : <ul style="list-style-type: none"> <li>• गोधन या भैंसों से चार क्वार्टर एकत्रित ताजा दुग्ध नमूने (प्लास्टिक स्टेराइल ट्यूब में 3 मि.लि.) दूध दोहने के 3 घंटे के भीतर।</li> <li>• किसी परिरक्षक के बिना स्टेराइल प्लास्टिक स्कू कैप ट्यूब (स्पिल प्रूक पैकेज) में नैदानिक नमूने 24 घंटे के भीतर।</li> <li>• ईडीटीए के साथ 2 मि.लि. रक्त।</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 मि.लि. सीरम नमूना।</li></ul>
23.	सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा फोन नंबर, ईमेल और डाक पते के साथ विधिवत रूप से भरी हुई संबंधित डाटा शीट (डाउनलोड सेक्शन में @www.nivedi.res.in से डाउनलोड किया जा सकता है) भेजी जानी अपेक्षित है। स्कोप डाटा शीट के अलावा विस्तृत इतिहास सहित अतिरिक्त सूचना भेजना सराहनीय होगा।